डाक पंजीयन क्रं. मालवा डिविजन/404/2025-27 RNIMPHI/2022/86763

हिन्दी दैनिक

संघर्ष से सिद्धि

खबरों के साथ, हर नजरिये की बात

Sangharshsesiddhi@gmail.com | उज्जैन गुरुवार 23 अप्रैल 2026 | वर्ष-04 अंक-257 | पृष्ठ-08, मूल्य-01 रुपये

''स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाओ''

पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस नेता ने दायर की याचिका

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद टीएन प्रतापन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 अप्रैल को दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में इस संबोधन को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने 18 अप्रैल की रात करीब 8.30 बजे दूरदर्शन और संसद टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। यह संबोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक (महिला आरक्षण संशोधन विधेयक) से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के ठीक बाद आया था।

भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने नाम लेकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों की आलोचना की तथा उन्हें महिला आरक्षण के विरोधी बताते हुए मतदाताओं से जवाबदेही ठहराने की अपील की। याचिकाकर्ता टीएन प्रतापन का आरोप है कि सक्रिय चुनाव अवधि के दौरान सरकारी नियंत्रण वाले दूरदर्शन और संसद टीवी का इस्तेमाल विपक्षी दलों की आलोचना के लिए किया गया, जो आदर्श आचार संहिता का साफ उल्लंघन है। प्रतापन ने याचिका में आगे कहा कि चुनाव के दौरान पक्षपातपूर्ण राजनीतिक संदेश देने के लिए सरकारी प्लेटफॉर्म्स का उपयोग आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग है और यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट आचरण माना जा सकता है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को औपचारिक शिकायत दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे आयोग की अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक जिम्मेदारी का परित्याग हुआ है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपता है।

बता दें कि 18 अप्रैल को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पर चर्चा हुई, जिसमें लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव था। सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर अतिरिक्त सीटें सृजित करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्वितरण के बिना आरक्षण लागू करने की मांग की। विधेयक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका और असफल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लगभग 30 मिनट के संबोधन में विधेयक की हार के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया और इसे महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ भ्रूणहत्या जैसा कृत्य बताया। उन्होंने भाषण का समापन मतदाताओं से विपक्ष को जवाबदेह ठहराने की अपील के साथ किया।

किसानों को ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के भूअर्जन पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा-मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कृषि भूमि के भूअर्जन पर गुणन कारक (मल्टीफिकेशन फैक्टर) को दोगुना करते हुए 2.0 कर दिया गया है। इससे अब अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा किसानों को दोगुना के स्थान पर बाजार दर से 4 गुना प्राप्त होगा। यह निर्णय संपूर्ण प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के अधिग्रहण पर लागू होगा। मंत्रि-परिषद ने नगरीय सीमा में मुआवजा गुणन कारक को यथावत एक रखा गया है। मंत्रि-परिषद ने इसके साथ सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे अधोसंरचना निर्माण तथा विकास के कार्यों के लिए लगभग 33 हजार 985 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी दी है।

मंत्रि-परिषद ने किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुणन कारक को बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया है, जिससे किसानों को अब उनकी कृषि भूमि का बाजार दर से 4 गुना मुआवजा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

इस निर्णय से सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, पुल, रेलवे और बांध निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि पर किसानों को अधिक राशि मिल सकेगी। इससे न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि भूमि देने वाले किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, श्री राकेश सिंह और श्री चेतन्य कुमार काश्यप की उप-समिति ने अनुशंसा की थीं। उप-समिति ने अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के साथ ही विभिन्न् किसान संगठन क्रेडाई,सीआईआई और फिक्की से चर्चा के बाद यह रिपोर्ट तैयार की थी।

सरकार के इस पारदर्शी और किसान-हितैषी निर्णय से प्रदेश के हजारों परिवारों को सीधा लाभ पहुँचेगा। मंत्रि-परिषद द्वारा उज्जैन जिले की इन्दौख-रुदाहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की लागत राशि 157 करोड़ 14 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 10,800 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना से झारड़ा तहसील के 35 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ होगा।

मंत्रि-परिषद द्वारा छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना में पुनर्वास के लिये स्वीकृत राशि 840 करोड़ 80 लाख रूपये के स्थान पर लगभग 969 करोड़ रूपये का विशेष पुनर्वास पैकेज स्वीकृति किया गया है। यह विशेष पैकेज त्वरित क्रियान्वयन व विस्थापितों के अपेक्षित सहयोग के लिए केन-बेतवा अन्तर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के समकक्ष प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले में संगम 1 बाँध, संगम 2 बाँध, रामघाट बांध एवं पांढुर्णा जिले में बेलेंसिग रिजर्वायर (पांढुर्णा) इस प्रकार कुल 4 बांध प्रस्तावित है, जिससे छिन्दवाड़ा एवं पांढुर्णा जिलों के 1,90,500 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी । परियोजना से छिन्दवाड़ा जिले के 369 एवं पांढुर्णा जिले के 259 ग्राम इस प्रकार कुल 628 ग्राम लाभान्वित होंगे।

चुनाव आयोग से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, खरगे के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रतिनिधमंडल ने बुधवार को यहां चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी को लेकर शिकायत की तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल में श्री रिजिजू के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और श्री ओम पाठक और कई अन्य नेता शामिल थे। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद श्री रिजिजू ने कहा, आज, भाजपा के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाक़ात की। हम भारी मन और गहरी नाराजगी के साथ इन अधिकारियों मिले। आम तौर पर हम चुनावी प्रक्रिया से जुड़े खास मामलों को लेकर ही निर्वाचन आयोग से संपर्क करते हैं, लेकिन, आज हमारे प्रतिनिधिमंडल के यहां आने का मुख्य कारण कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गयी अपमानजनक भाषा है।

गौरतलब है कि श्री खरगे ने तमिलनाडु में मंगलवार को श्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, ये अखिल भारतीय अन्ना द्रमुड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्ना द्रमुक) के लोग, जो खुद अन्नादुरई की तस्वीर लगाते हैं, वे श्री मोदी के साथ कैसे जा सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं। उनकी पार्टी समानता और न्याय में भरोसा नहीं करती है। ये लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।

अतिक्रमण का दंश झेल रहे नगरवासी क्या जिला प्रशासन करेगा सख्त कार्यवाही, नेता वोट लेकर भूले अपनी बर्बादी पर आंसू बहाता नगर चारों तरफ अतिक्रमण ही अतिक्रमण...

शनिवार हाट बाजार के दिन लगता जाम नगर में गुजरते वाहन, क्या नगर परिषद ने बाजार वसूली के चक्कर में सड़क रखी दुकानदारों के पास गिरवी.....?

संघर्ष से सिद्धि की खास खबर

राणापुर। झाबुआ नाके से नगर में प्रवेश करते ही होते अतिक्रमण के दर्शन पुराना हॉस्पिटल रोड हो या बाई पास पारा रोड या पुराने अस्पताल से काली नदी वाला रोड या फिर बस स्टैण्ड हो या यात्री प्रतीक्षालय नगर की बोहरा गली या पुराने बस स्टैण्ड से सुभाष मार्ग सभी ओर घर ओर दुकान के बाहर खड़े बेतरतीब वाहन ओर दुकानों का सामान जगह इतनी भी नहीं बचती कि कोई इमरजेंसी में वाहन भीड़ से निकल जाए।

नगर परिषद रानापुर हमेशा अतिक्रमण हटाने की नौटंकी कर रह जाती, हटाया अतिक्रमण दो दिन बाद फिर यथा स्थिति में दिखाई देता नगर परिषद ने मालीपुरा रोड पर लाखो रुपए खर्च कर शब्जी मंडी बनाई जो आज उजड़ रही ओर जल्दी ही खंडहर में तब्दील हो जाएगी अगर व्यवस्था नहीं हुई तो,इक्का दुक्का को छोड़कर कोई शब्जी की दुकान नहीं लगाता सभी को मंदिर गली के रोड ही पसंद है इनके कारण मंदिर जाने वाले के अलावा मोहल्ले के रहवासियों का दुपहिया चार पहिया वाहन निकालने में भारी मशक्कत करना पड़ती पर नगर परिषद के जवाबदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती।

नगर के वरिष्ठ अधिकता जगदीश जी हरसोला ने मजबूर होकर अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद के विरुद्ध न्यायालय की शरण ली वहा भी नगर परिषद जवाब देकर कार्यवाही कह कर बची नगर के कई प्रमुख समाचार पत्र आए दिन अतिक्रमण को लेकर समाचार प्रकाशित कर रहे वही सोशल मीडिया पर नगर के युवा अपनी भड़ास निकाल कर कमेंट कर रहे इससे भी नगर परिषद को कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि लगता तो यही है कि नगर परिषद के चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए वह चुनाव जीतकर भूल गए ओर जब भी कतिपय पार्षदों से चर्चा करे तो एक ही रटा रटाया जवाब हमारी चलती नहीं तो फिर दौड़ती किसकी यह बड़ा सवाल..?

तत्कालीन सीएमओ संजय पाटीदार ,तहसीलदार ओर थाना प्रभारी ने कुछ दिन अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई थी गुमटियां हटाई जब्त की सामान उठाया फिर आज आवागमन वाले रोड पर सीना तानकर अतिक्रमण करने वाले नगर परिषद को मुंह चिढ़ा रहे है। नगर परिषद का दुर्भाग्य ही कह सकते एक अधिकारी सख्त आया उसकी आपसी कलह में बिदाई कराई दूसरा रिटायरमेंट के नजदीक आया ओर समय काटकर चलता बना अब झाबुआ सीएमओ को कमान सौंपी वह भी सप्ताह में एक दो बार नगर परिषद की कुर्सी की शोभा बढ़ाने आते है और कागजों पर हस्ताक्षर कर चल देते नगर की ओर कभी झांका तक नहीं कि क्या हालात है।

नगर में पसरे अतिक्रमण को लेकर जनता बेहाल ओर परेशान है कोई सुनने वाला भी नहीं है लगता....

शनिवार हाट बाजार के दिन झाबुआ नाके से लेकर पुराने बस स्टैण्ड,यात्री प्रतीक्षालय ओर सुभाष मार्ग की हालत इतनी दयनीय हो जाती कि कोई अगर बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस तो ठीक दो पहिया वाहन ही नहीं निकल सकता इतनी बेतरतीब भीड़

रहती ऊपर से दुकानों का सामान ओर ठेला गाड़ियों में सजती बिकती सामग्री लेकिन कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं जबकि ट्राफिक नियंत्रण पुलिस का कार्य वह भी दिखाई नहीं देता न किसी चौराहे पर ट्रैफिक का कंट्रोल करने वाला जवान न कोई बैरिकेटिंग की व्यवस्था भीड़ भाग में दो पहिया ओर चार पहिया वाहन तो ठीक टैक्टर ट्राली ओर अन्य वाहन भी गुजरने को आतुर होकर घंटों जाम लगा देते भले ही जनता परेशान न नगर परिषद को पड़ी न दुकानदारों को पढ़ी ओर जनता तो बस चिल्लाकर रह जाती। अतिक्रमण और रोजाना लगने वाले जाम से एक मात्र विकल्प जिला प्रशासन ही इस समस्या से नगर को निजात दिला सकता है इसके लिए स्वयं कलेक्टर साहब ओर पुलिस अधीक्षक

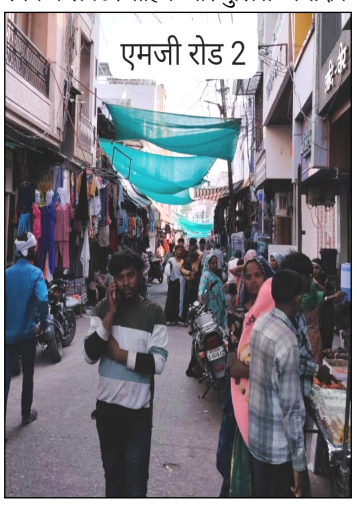

को नगर का एक बार भ्रमण करना होगा ताकि इस खबर से बेखबर कि सच्चाई से रूबरू एक बार हो सके।

अतिक्रमण के लिए नियम क्या है यह बताते है

मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 में सार्वजनिक भूमि, सड़कों या नालियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की शक्ति मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) को प्रदान करती है। इस धारा के तहत नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाता है, और समय पर न हटाने पर प्रशासन द्वारा बलपूर्वक हटाकर हर्जाना वसूलने की कार्रवाई की जाती है।

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया (धारा 223 के तहत) निरीक्षण और नोटिस

अवैध कब्जे की पहचान के बाद, नगरपालिका द्वारा संबंधित व्यक्ति को अंतिम नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें अतिक्रमण हटाने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है।

सुनवाई का मौका

नोटिस के माध्यम से अतिक्रमणकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।

बलपूर्वक कार्यवाही

यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो नगरपालिका/प्रशासन पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को तोड़कर अतिक्रमण हटाती है।

व्यय की वसूली

अतिक्रमण हटाने में जो भी खर्च आता है, उसे संबंधित अतिक्रमणकर्ता से हर्जाने या राजस्व के रूप में वसूल किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

यह धारा सार्वजनिक रास्तों, सार्वजनिक स्थानों, और नालियों पर किए गए अतिक्रमणों पर लागू होती है।

अवैध निर्माण को बिना किसी मुआवजे के हटाया जा सकता है

अतिक्रमणकर्ता के पास नोटिस के बाद कानूनी कार्यवाही (जैसे सिविल कोर्ट या उच्च न्यायालय में अपील) का विकल्प होता है, लेकिन प्रक्रिया का पालन होने पर कार्रवाई वैध मानी जाती है।

सार्वजनिक सड़कों आवागमन मार्ग

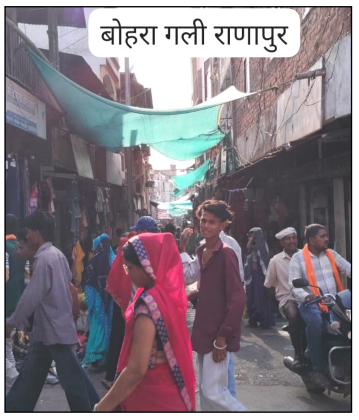

का अतिक्रमण

नगर परिषद सार्वजनिक सड़कों आवागमन मार्ग पर अस्थाई रूप से गुमटी दुकान तंबू ठेला गाड़ी इत्यादि रख कर या बाड,वागड़ लगाकर अतिक्रमण करता है तो उसको बिना सूचना के हटा सकती है और सामग्री जब्त कर सकती है और जुर्माना भी लगा सकती है। हमारा कार्य नगर की इस ज्वलंत अतिक्रमण ओर जाम की रोजाना की समस्या से अवगत कराना है करना न करना जिला प्रशासन की मर्जी।

इनका कहना

नगर में सार्वजनिक सड़कों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, नगर परिषद की जवाबदारी है अतिक्रमण हटाए। अतिक्रमण के कारण हर दिन जाम लगता है। नगर परिषद रानापुर अगर अतिक्रमण हटाने में सहयोग मांगेगी तो अवश्य देंगे।

-दिनेश रावत थाना प्रभारी

क्या प्रदेश के भाजपाई नेताओं पर साढ़ेसाती तो नहीं चल रही.....? पहले विजय शाह, फिर कैलाश विजयवर्गीय, बाद में प्रीतम सिंह लोधी और अब संजय पाठक-भाजपाई शीर्ष नेतृत्व आखिर में क्यों है मौन....?-दलील दी, गलती से जज को फोन लग गया था..........

संजय पाठक-भाजपा विधायक,विजयराघवगढ़-कटनी जिला

संजय जैन (सह-संपादक)
942510-1357
883910-7012
गिद्ध दृष्टि

झाबुआ/इंदौर (संजय जैन-सह संपादक)। प्रदेश के कद्दावर भाजपा विधायक संजय पाठक के लिए न्यायिक मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाई कोर्ट के एक माननीय जस्टिस को फोन कर सुनवाई प्रभावित करने के मामले में

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच

विधायक को मंगलवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा।

विधायक ने कोर्ट के सामने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की और बिना शर्त माफी मांगी,लेकिन अदालत ने फिलहाल उन्हें पूरी तरह राहत नहीं दी है। पहले विजय शाह,फिर कैलाश विजयवर्गीय,बाद में लोधी और अब संजय पाठक-क्या भाजपाई नेताओ पर साढ़े साती तो नहीं चल रही......? भाजपाई शीर्ष नेतृत्व आखिर में मौन क्यों है......?

क्या था पूरा विवाद.......

मामले की जड़ 1 सितंबर 2025 की एक सुनवाई में है। कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की याचिका के अनुसार, विधायक संजय पाठक से जुड़ी एक कंपनी के अवैध उत्खनन मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल मिश्रा कर रहे थे। जस्टिस मिश्रा ने तब यह खुलासा कर सबको चौंका दिया था कि विधायक ने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की। इस हस्तक्षेप से नाराज होकर जस्टिस ने खुद को केस से अलग कर लिया और मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया था। कोर्ट ने इसे अपराधिक अवमानना माना था।

विधायक ने बिना शर्त मांगी माफी........

संजय पाठक की ओर से पेश हुए वकीलों ने दलील दी कि विधायक ने हलफनामे में अपनी गलती मान ली है। तर्क दिया गया कि अवमानना में दंड तभी दिया जाना चाहिए,जब गलती जानबूझकर की गई हो या आरोपी उसे स्वीकार न करे। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित मामला भी बताया। हालांकि, युगल पीठ ने इस माफीनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए विधायक की उपस्थिति की अनिवार्यता को फिलहाल खत्म नहीं किया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 14 मई तय की है।

संजय पाठक केस में हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख.......

जबलपुर हाईकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक द्वारा जज को फोन करने के मामले पर चीफ जस्टिस

अमित शाह-सेंट्रल गृह मंत्री

संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की,जहां विधायक पाठक खुद मौजूद थे। संजय पाठक के वकील की दलीलों से हाईकोर्ट नाखुश नजर आया। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यह कोई दो पार्टी का युद्ध नहीं है। हमने मामले का स्वत संज्ञान लिया है,हाईकोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में पूछा

नरेंद्र मोदी-प्रधान मंत्री

गया कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई...? संजय पाठक की ओर से एडवोकेट देवदत्त कामत ने दलील दी कि गलती से जज को फोन लग गया था।

संजय पाठक ने कही ये बात....

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए संजय पाठक ने कहा कि नर्मदे हर कोर्ट का मामला है,इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करुंगा। गलती से फोन लगने के सवाल पर संजय पाठक ने कहा कि 14 मई की तारीख पर पता चलेगा। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बारे में कुछ नहीं बोले।

14 मई को होगी अगली सुनवाई.......

याचिकाकर्ता के वकील राजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं आशुतोष दीक्षित की ओर से पैरवी कर रहा है। मैंने इंटरवेंशन की एप्लीकेशन मूव की थी, इस पर काफी चर्चा हुई,लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरवल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है और इसे खारिज कर दिया। अगर आप चाहें,तो हाईकोर्ट को असिस्ट या फिर सहयोग कर सकते हैं। संजय पाठक खुद मौजूद थे,व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी नहीं हुई,अब अगली सुनवाई 14 मई को होगी।

प्रीतम सिंह लोधी-भाजपा विधायक,शिवपुरी

कैलाश विजयवर्गीय-मंत्री

विजय शाह-मंत्री

विशाल मिश्रा-जस्टिस

सम्पादकीय

लोकतंत्र खतरे में

पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी और झकझोर देने वाली खबर आई है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के आचरण पर बेहद सख्त और तीखी टिप्पणी की है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच के बीच में हस्तक्षेप करना गंभीर मामला है।

यह पूरा विवाद कोलकाता में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की सर्च कार्रवाई से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जांच की प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता। इस मामले ने अब कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां ममता सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद हैरान करने वाली बात कही है। बेंच ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसा दिन भी आएगा जब कोई मुख्यमंत्री खुद जांच के बीच में दखल देगा। कोर्ट के मुताबिक यह राज्य बनाम केंद्र का विवाद बिल्कुल नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री के पद पर है, वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है।

अदालत ने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस कृत्य ने पूरे सिस्टम को जोखिम में डाल दिया है। सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से दलील दी गई कि यह मामला संघीय विवाद से जुड़ा है। हालांकि कोर्ट इस तर्क से बिल्कुल सहमत नजर नहीं आया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री जांच के बीच नहीं जा सकता। आप इसे केंद्र-राज्य का विवाद बताकर अपना बचाव नहीं कर सकते हैं।

बेंच ने संविधान विशेषज्ञों का जिक्र करते हुए कहा कि आंबेडकर जैसे दिग्गजों ने भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री खुद जांच के दौरान दफ्तर में पहुंच जाएगा। टीएमसी की वकील मेनका गुरुस्वामी ने इस याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए और मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेजने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा बड़ा संवैधानिक सवाल है जिसे बड़ी बेंच को भेजा जाए? अदालत ने साफ किया कि हर अनुच्छेद 32 की याचिका को बड़ी बेंच को नहीं सौंपा जा सकता। यह सुनवाई ईडी अधिकारियों द्वारा दायर उन याचिकाओं पर हो रही है जिनमें सीबीआई जांच की मांग की गई है।

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने अपने सभी ऑपरेशन रोक दिए है। आईपैक के एक इंटरनल मेल से इस बात की पुष्टि हुई है।

इस इंटरनेल मेल में कुछ कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए लिखा गया कि मैनेजमेंट ने बंगाल में अपने सभी ऑपरेशन को 20 दिनों के लिए रोकने का फैसला लिया है। मालूम हो कि आईपैक बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रचार संभालने में जुटी थी।

पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले टीएमसी का चुनाव प्रचार अभियान देखने वाली कंपनी का अपने सारे ऑपरेशन रोकना एक बड़ी बात मानी जा रही है। मालूम हो कि राज्य में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है।

52 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा सहित 01 आरोपी को पकड़ने में मिली सफलता

नीमच। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रदेश व्यापी नशाविरोधी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमच नवलसिंह सिसोदिया एवं एसडीओपी जावद रोहीत राठौर के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी जावद एवं पुलिस चोकी सरवानिया महाराज द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा के तस्करी करते जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा माल उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को भी आरोपी बनाया।

दिनांक 21.04.2026 को पुलिस चौकी सरवानिया महाराज थाना जावद पर प्राप्त मुखबीर सूचना की तस्दीक के दौरान घटना स्थल ग्राम मोरवन-लासुर रोड़ धामनिय फंटा पर से मदनलाल पिता गोवर्धनराम जाति विश्नोई उम्र 27 साल निवासी हमीरनगर फींच पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर राजस्थान के कब्जे वाली इग्निस कार क्रमांक RJ 22 CC 6609 से मिले तीन काले रंग के प्लास्टिक के कट्टो में भरे कुल 52 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा परिवहन करते हुए अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा मय कार के

जप्त कर आरोपी मदनलाल विश्नोई को गिरफ्तार कर अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा उपलब्ध कराने वाले विक्रम सिंह पिता नवल सिंह बोराना निवासी ग्राम विसनीया पुलिस थाना नीमच सिटी जिला नीमच (म.प्र.) को भी अपराध सदर मे सह आरोपी बनाया जाकर दोनो आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

बुलेट के पटाखा साइलेंसर तथा वाहनों के मॉडिफाई साइलेंसरो को यातायात पुलिस मंदसौर ने रोड रोलर से कुचलकर नष्ट करवाया

शाहिद अजमेरी

मंदसौर। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देशन में शहर में पटाखा आवाज करने वाली बुलेट तथा अन्य मॉडिफाई साइलेंसर वाले दो पहिया वाहनों पर थाना यातायात द्वारा विगत महीनों में वाहन चेकिंग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए कई साइलेंसरों को खुलवाया गया तथा थाने पर रखवाया गया और वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। पटाखे जैसी तेज आवाज से शहर के वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे वाहनों 48 वाहनों पर 55,000 रुपये जुर्माना किया गया।

इसके अतिरिक्त बुधवार को पुलिस लाइन मंदसौर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेरसिंह बघेल, नगर पुलिस अधीक्षक जितेंद्रसिंह भास्कर की मौजूदगी में ऐसे 48 साइलेंसर को अपीलीय अवधि पश्चात रोड रोलर द्वारा कुचलवाकर नष्ट करवाया गया।

रतनगढ़ पुलिस को आलोरी में गरवाडा खेत में छिपा 101 किलो डोडा चूरा पकड़ने में मिली सफलता 03 आरोपी गिरफ्तार

निर्मल मूंदड़ा

रतनगढ़। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रदेश व्यापी नशा विरोधी अभियान के तहत उप पुलिस महानिरीक्षक रतलाम रेंज रतलाम निमिष अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, जिला नीमच अंकित जायसवाल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसौदिया एवं एसडीओपी जावद रोहित राठौर के मार्गदर्शन में थाना रतनगढ की पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों एवं नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कुल 101 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा मय 15 किलो 500 ग्राम पोस्तादाना सहित 03 आरोपियों को पकडने में सफलता प्राप्त की है। दिनांक 20-21.04.2026 की रात्रि में मुखबीर सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम आलोरी गरवाडा में स्थित खेत से आरोपीगण (01) राहुल पिता कल्याणमल धाकड उम्र 24 साल निवासी ग्राम आलोरी गरवाडा पुलिस थाना रतनगढ जिला नीमच (म.प्र.), (02) समीर पिता एहसान मंसुरी मुसलमान उम्र 25 साल निवासी ग्राम आलोरी गरवाडा पुलिस थाना रतनगढ जिला नीमच (म.प्र.). (03) अयान पिता अजगर अली मुसलमान उम्र 22 साल निवासी ग्राम आलोरी गरवाडा पुलिस थाना रतनगढ जिला नीमच (म.प्र.) के संयुक्त कब्जे से कुल वजनी 101 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा एवं 15 किलो 500 ग्राम पोस्तादाना को बरामद किया

गया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बरामद डोडाचूरा को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जब्त कर आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया। पकारण में अब तक की जांच के अनुसार अरोपीगणों के द्वारा उक्त अवैध मादक प्रदार्थ डोडाचूरा चोरी करना पाया गया। प्रकरण में आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

जप्त मश्रुका-

1. 101 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा किमती 10,00,000 रुपये 2. 2. 15 किलो 500 ग्राम पोस्तादाना किमती 19,375 रुपये।

गिरफ्तार आरोपीगण-

01. राहुल पिता कल्याणमल धाकड उम्र 24 साल निवासी ग्राम आलोरी गरवाडा पुलिस थाना रतनगढ जिला नीमच (म.प्र.)।

02. समीर पिता एहसान मंसुरी मुसलमान उम्र 25 साल निवासी ग्राम आलोरी गरवाडा पुलिस थाना रतनगढ जिला नीमच (म.प्र.)।

03. अयान पिता अजगर अली मुसलमान उम्र 22 साल निवासी ग्राम आलोरी गरवाडा पुलिस थाना रतनगढ जिला नीमच (म.प्र.)

नोट :- उपरोक्त कार्यवाही में पुलिस थाना रतनगढ एवं सायबर सेल टीम की महत्वपूर्ण भुमिका रही।

कौमी एकता के प्रतीक हजरत पीर बादशाह का 48वां तीन दिवसीय उर्स कूल की रस्म के साथ हुआ सम्पन्न

जुबेर अहमद

धरियावद। हिंदू-मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक हजरत बड़ वाले पीर बादशाह का तीन दिवसीय 48वां उर्स बुधवार को कूल की रस्म के साथ सम्पन्न हुआ है। जानकारी देते हुए उर्स कमेटी के खादिम व सदर मोहम्मद हनीफ ने बताया कि सोमवार से तीन दिवसीय हजरत पीर बादशाह का उर्स शुरू हुआ था जो बुधवार को संपन्न हुआ है। सोमवार को परचम कुशाई एवं कुरानख्वानी रात्रि में महफिले मिलाद, मंगलवार को चादर शरीफ के जुलूस के साथ ही कव्वाल नजीर नियाजी द्वारा मंगलवार रात्रि में कलाम पेश करते हुए उर्स के समापन की रस्म अदा की है। बुधवार सुबह बाबा साहब की दरगाह पर कूल की फातेहा तथा रंग पढ़ने के साथ ही इसका समापन किया गया। उर्स के दौरान मन्नतें मांगी गई एवं जिनकी मन्नत पूरी हुई उन्होंने मन्नते उतारी है। कार्यक्रम में सामूहिक लंगर का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सम्मिलित हुए है।

कलेक्टर ने किया जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण, निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट और विभिन्न वार्डों की व्यवस्थाओं का किया अवलोकन, एनएचएम इंजीनियर को दिया नोटिस

राजेश नाहर 9479973888

बड़वानी। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और जिले के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने आज जिला चिकित्सालय बड़वानी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों और विभिन्न वार्डों की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।

कलेक्टर ने निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण करते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता में कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करें ताकि गंभीर मरीजों को जल्द से जल्द उपचार मिलना शुरू हो सके।

कलेक्टर श्रीमती सिंह ने ओपीडी और पंजीयन केंद्र का निरीक्षण कर दैनिक ओपीडी की स्थिति एवं पंजीयन रजिस्टर की जांच करते हुए प्रविष्टियों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मरीजों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को त्वरित बनाया जाए ताकि उन्हें अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। निःशुल्क दवा केंद्र पर दवाओं की उपलब्धता और स्टॉक रजिस्टर की जांच की। उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा कि शासन की मंशानुसार प्रत्येक पात्र मरीज को अस्पताल से ही निःशुल्क दवाएं प्राप्त हों।

ड्रेसिंग रूम का निरीक्षण कर स्तरीय साफ-सफाई बनाए रखने एवं बायो-वेस्ट मैनेजमेंट के निर्देश दिए।कलेक्टर ने बाल चिकित्सा वार्ड और मेल वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों से चर्चा कर उन्हें मिल रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। उन्होंने वार्डों में साफ-सफाई,गर्मी के दिनों में कूलर एवं सुचारू पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को संवेदनशीलता के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़करण के निर्देश दिए।इस दौरान पूर्व निर्देशों के बाद भी सुधार न होने पर कलेक्टर ने एनएचएम इंजीनियर के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने शासकीय सीनियर कन्या उत्कृष्ट छात्रावास थांदला का किया निरीक्षण

संजय जैन सह संपादक

झाबुआ। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने विकासखंड थांदला स्थित शासकीय सीनियर कन्या उत्कृष्ट छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावास की विभिन्न व्यवस्थाओं का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित किया।

कलेक्टर ने रसोईघर एवं भोजन कक्ष का निरीक्षण कर वहां की साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता एवं निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन वितरण की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से भोजन की गुणवत्ता, नियमितता एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में चर्चा की तथा आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए। इसके पश्चात कलेक्टर ने बोर्ड पर प्रदर्शित वार्षिक बजट से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए छात्राओं से चर्चा कर उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं के बारे में फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने विगत वर्ष छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण पर नहीं ले जाए जाने की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस वर्ष छात्राओं को अनिवार्य रूप से शैक्षणिक भ्रमण कराया जाए, जिससे उनके ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि हो सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर

ने छात्राओं की उपस्थिति की स्थिति भी जानी। कुछ छात्राओं के अनुपस्थित पाए जाने पर उन्होंने उन्हें नियमित रूप से छात्रावास में उपस्थित रहने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। कलेक्टर ने छात्राओं से आत्मीय संवाद करते हुए उनके भविष्य एवं करियर योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान कई छात्राओं ने डॉक्टर बनने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर निरंतर अध्ययन करने एवं अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्रसिंह चौहान, सहायक कलेक्टर आशीष कुमार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला भास्कर गाचले एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने लोक सेवा केंद्र थांदला का किया निरीक्षण

संजय जैन सह संपादक

झाबुआ। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने बुधवार को विकासखंड थांदला स्थित लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में संचालित विभिन्न सेवाओं एवं आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

कलेक्टर ने आधार में संशोधन कराने आए आवेदकों से चर्चा कर उन्हें मिल रही सेवाओं की गुणवत्ता एवं शुल्क के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने आवेदकों से केंद्र द्वारा ली जा रही फीस के बारे में पूछताछ कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने केंद्र के विभिन्न काउंटरों पर संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया तथा संबंधित कर्मचारियों से कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि केंद्र पर आने वाले आवेदकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने केंद्र में पेयजल एवं गर्मी को देखते हुए कूलर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सेवाओं के निर्धारित शुल्क की सूची केंद्र में प्रमुख स्थान पर चस्पा की जाए, जिससे आमजन को शुल्क की जानकारी सहजता से प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि नहीं ली जाए तथा सेवाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर आशीष कुमार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला भास्कर गाचले एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ शुभारंभ

पंकज गोस्वामी राणापुर

राणापुर। श्री आदि जिन प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन प्रतिमा का उत्थापन किया गया साथ ही कुंभ स्थापना,दीपक स्थापना ऐव ज्वारा रोपण की विधि कराई गई। मुनिराज श्री संयमरत्न विजय जी मुनिराज श्री भुवन रत्न विजय जी मोहनखेड़ा म्यूजियम से विहार कर दो दिन में राणापुर पधारकर निश्रा प्रदान की।विधिकारक त्रिलोक ककरिया ने मंत्रोच्चार से विधि सम्पन्न की। नए मंदिर जी के लिए नया तिगड़ा ललित समीरमल जी द्वारा भेट किया गया। पूरे दिन का स्वामीवात्सल्य ऐव नवकारसी का लाभ शैलेश सेठ ने लिया वहीं अष्ट प्रकारी पूजन का लाभ शांतिलाल सकलेचा द्वारा लिया गया। अन्य लाभार्थी ने भी लाभ लिया। रात्रि में मधुकर संगीत मंडल द्वारा भक्ति कार्यक्रम किया गया। आज प्रतिष्ठा में निश्रा प्रदान देनेवके लिए राणापुर नंदन श्रीमद नित्यसेन सूरी आदि मुनि ऐव साध्वी मंडल 23 अप्रैल को राणापुर पधार रहे हे। दादावाड़ी से एक विशाल शोभायात्रा निकाली जावेगी जिसमें बैंड, शहनाई, 5 बग्गी, अश्व ओर सैकड़ों पुरुष श्वेत परिधान ऐव महिलाएं अपनी पोशाक में रहेगी।

नीमच में पोस्ट ऑफिस द्वारा आधार कार्ड संबंधित सेवाओं के लिए विशेष अभियान 25 अप्रैल को

नीमच। डाक विभाग द्वारा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नीमच प्रधान डाकघर एवं बघाना डाकघर (पोस्ट ऑफिस) के आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन सेवा केन्द्रों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के तहत नवीन आधार पंजीयन, आधार कार्ड में सुधार, बायोमेट्रिक अपडेट तथा आधार डेटा में मोबाइल एवं ईमेल लिंक कराने जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

जानकारी के अनुसार यह विशेष अभियान 25 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 23 एवं 24 अप्रैल को डाकघर से टोकन वितरण किया जाएगा। अभियान के दिन 25 अप्रैल को सभी आधार केन्द्र प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित रहेंगे। अधीक्षक डाकघर श्री अजित सिंह डामोर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम डाक घर आधार केन्द्र पर पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं।

फाइल फोटो लिखे

हाई कोर्ट का सख्त रुख

मध्य प्रदेश की सीमाओं पर फिर बहाल होंगी बंद परिवहन चेक पोस्ट

नयागांव सहित प्रदेश के सभी चेक पोस्ट को फिर से क्रियाशील करना होगा

नीमच/जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए प्रदेश की सीमाओं पर बंद की गई सभी परिवहन चेक पोस्ट को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा चेक पोस्ट बंद करने का निर्णय न केवल जनहित के विरुद्ध है, बल्कि यह सीधे तौर पर न्यायालय को दिए गए आश्वासनों की अवमानना है।

सरकार के फैसले को माना अदालत की अवमानना

मामले की जड़ साल 2006 की एक जनहित याचिका से जुड़ी है, जिसमें सड़कों पर बढ़ती ओवरलोडिंग को लेकर चिंता जताई गई थी। तब राज्य सरकार ने शपथ पत्र देकर अदालत को भरोसा दिलाया था कि ओवरलोडिंग रोकने के लिए सीमाओं पर चेक पोस्ट का संचालन निरंतर जारी रहेगा। लेकिन, सरकार ने अपने ही वादे से पलटते हुए 30 जून 2024 को एक आदेश जारी कर सभी अंतरराज्यीय चेक पोस्ट बंद कर दिए थे। न्यायालय ने इस कदम पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि, अदालत के समक्ष दिया गया आश्वासन यदि पूरा नहीं किया जाता, तो वह अवमानना की श्रेणी में आता है।

नयागांव और अन्य सीमावर्ती नाकों पर क्या होगा असर...?

इस आदेश का सबसे बड़ा असर मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा पर स्थित नयागांव (नीमच) जैसे महत्वपूर्ण टोल और चेक पोस्ट्स पर पड़ेगा। शासन को अब 30 दिनों के भीतर नयागांव सहित प्रदेश के उन सभी नाकों को फिर से क्रियाशील करना होगा जिन्हें बंद कर दिया गया था। चेक पोस्ट दोबारा शुरू होने से राजस्थान से आने वाले भारी वाहनों की सघन जांच हो सकेगी, जिससे सड़कों को होने वाले नुकसान और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।

अदालत ने प्रतिवादियों (अधिकारियों) को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया है कि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर सभी बंद चेक पोस्ट पुनः स्थापित किए जाएं। यदि सरकार इस समय सीमा में विफल रहती है, तो याचिकाकर्ता को अवमानना की कार्यवाही दोबारा शुरू करने का अधिकार होगा।

उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब परिवहन विभाग और राज्य सरकार को अपनी कार्ययोजना बदलनी होगी और सीमावर्ती जिलों में फिर से मुस्तैदी बढ़ानी होगी।

ग्राम कालाखोदरा बड़ग्यार से दो नाबालिग लड़कों का अपहरणकर्ता 6 घंटे मे गिरफ्तार

रामेश्वर सोनी

कुक्षी। दिनांक 21 अप्रैल 2026 को शाम 6 बजे कुक्षी थाना क्षेत्र निवासी दंपति ने थाना आकर रिपोर्ट किया कि उसके चार वर्ष और 6 वर्ष के दो बच्चों को उसी के साथ में रहने वाला प्रताप सिंह ठाकुर निवासी मेहसाना गुजरात दिन में 12 बजे मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं ले गया है जिस पर से आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई।

फरियादी परिवार सहित गुजरात मे मजदूरी करने जाता रहा है, गुजरात मे मजदूरी करने के दौरान, आरोपी प्रताप उर्फ धर्मेन्द्र पिता गंगाराम ठाकोर निवासी मेहसाणा गुजरात से पारिवारिक संबंध हो गये एवं आरोपी ने बच्चो की मां को मुंहबोली बहिन बना लिया और साल मे दो-तीन बार कालाखोदरा बड़ग्यार मे आकर भी रहने लगा।

आरोपी प्रताप उर्फ धर्मेन्द्र ठाकोर कई बार महीने दो महीने तक भी अपनी मुंहबोली बहिन सुमन के घर कालाखोदरा बड़ग्यार मे आकर रहता था । इसी दौरान आरोपी प्रताप उर्फ धर्मेन्द्र कई बार उसकी बाईक पर सुमन के बच्चो को बैठाकर घुमाने भी ले जाता था । घटना दिनांक 21/04/2026 को भी आरोपी प्रताप उर्फ धर्मेन्द्र ने सुमन के दोनो लड़को को बाईक पर बैठाया और घुमाने का कहकर निकल गया जो काफी देर तक वापस नही आया तो माता पिता ने प्रताप उर्फ धर्मेन्द्र ठाकोर को फोन लगाया,लेकिन प्रताप उर्फ धर्मेन्द्र के मोबाईल नही उठाने से बच्चो के माता-पिता घबरा गये और पुलिस की शरण ली ।

सूचना पर कुक्षी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये अपराध पंजीबद्ध किया और धार पुलिस व आसपास के थानो को बच्चो के व अपहरणकर्ता के फोटो वीडियो भेजे गये।

पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर द्वारा मामले को गंभीरता से लेकर, विशेष टीम बनाकर, आरोपी की धरपकड़ के निर्देश दिये गये थे जिनके पालन मे एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता द्वारा थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव के नेतृत्व मे टीम बनाकर अलग-अलग बिन्दुओ पर आरोपी की तलाश करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। कुक्षी

पुलिस द्वारा सहायक उपनिरीक्षक चंचलसिंह चौहान, रामसिंह सोलंकी, प्र.आर. दीपेन्द्र डावर की पुलिस टीम को तत्काल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का पीछा करने हेतु रवाना किया गया।

पुलिस टीम द्वारा रास्ते के सभी सीसीटीवी फुटेज चैक करते हुये, आगे बढ़ते हुये, गोधरा गुजरात मे, स्थानीय पुलिस की मदद से चौतरफा नाकेबन्दी कर, आरोपी को धर दबोचा एवं दोनो बच्चो को सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक महोदय धार द्वारा प्रकरण को ह्यूमन ट्राफिकिंग के एंगल से देखते हुये, आरोपी से, गंभीरता से पूछताछ करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमे कई नये तथ्यो का खुलासा होने की संभावना है।

नाम गिरफ्तार आरोपी-प्रताप उर्फ धर्मेन्द्र पिता गंगाराम जाति ठाकोर उम्र 37 साल ठाकोरवास, पोस्ट खंभेल, थाना बेचराजी, जिला मेहसाणा गुजरात।

इस उल्लेखनीय सफलता मे निरीक्षक राजेश यादव, सहायक उप निरीक्षक चंचलसिंह चौहान, रामसिंह सोलंकी, प्र.आर. दीपेन्द्र डावर, आरक्षक विपिन यादव, अजय तंवर, नीरज धार्वे, प्रदीप डावर, महेन्द्र चौहान का विशेष योगदान रहा है। पुलिस अधीक्षक धार मयंक अवस्थी द्वारा कुक्षी पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

प्रशासन के आश्वासन पर थमा किसानों का आक्रोश गेहूं के ढेर वापस उठाए

स्लॉट बुकिंग की समस्या का 5 दिन में होगा समाधान एसडीएम से मुलाकात के बाद धरना समाप्त

दिनेश राठौर

मनासा। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में आ रही तकनीकी बाधाओं और स्लॉट बुकिंग न होने से नाराज किसानों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को एसडीएम के ठोस आश्वासन के बाद समाप्त हो गया पिछले दो दिनों से अपनी उपज को एसडीएम कार्यालय के सामने रखकर विरोध जता रहे किसान नेताओं और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है क्या था मामला समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू न होने और पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग में आ रही परेशानियों को लेकर किसान खासे परेशान थे विरोध स्वरूप किसान नेता चंद्रशेखर पालीवाल के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने गेहूं की बोरियां खाली कर अपना विरोध दर्ज कराया था

एसडीएम की स्पष्ट घोषणा

मंगलवार को किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम किरण आंजना से मिला मुलाकात के दौरान एसडीएम ने वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि लघु

किसान 2 हेक्टेयर से कम रकबा वाले किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है बड़े किसान 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों के लिए अगले 5 दिनों के भीतर स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी चना खरीदी-गेहूं के साथ-साथ चना खरीदी की प्रक्रिया भी प्रारंभ करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। तकनीकी बाधाओं को दूर कर अगले 5 दिनों में सभी वर्गों के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू कर दी जाएगी किरण आंजना, एसडीएम विरोध का समापन एसडीएम के सकारात्मक रुख और समय सीमा तय करने के बाद किसान संतुष्ट नजर आए किसान नेता चंद्रशेखर पालीवाल ने कार्यालय के सामने प्रदर्शन के तौर पर डाले गए गेहूं को वापस उठवाया और धरना समाप्त करने की घोषणा की प्रतिनिधि मंडल में ये रहे शामिल इस अवसर पर किसानों की बात रखने के लिए पूर्व जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष चंद्रशेखर पालीवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेन्द्र श्याम सोनी, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष मंगल पाटीदार, पूर्व किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओम रावत, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रामप्रसाद कसेरा, महेश नंदवाना, और महेंद्र उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु अधिकारी, कर्मचारी सम्मानित

नीमच। नीमच कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित आई-गोट साधना सप्ताह (दिनांक 02 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल 2026) का आयोजन किया गया था। इसमें सभी शासकीय सेवकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त किया गया था, जो कि प्रदेश के लिए गौरव का विषय हैं लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा भी इस संबंध में प्रषिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु सभी जिलों को निर्देश जारी किये गये थे, इसी क्रम में जिला अभियोजन संचालनालय, नीमच में पदस्थ अभियोजन अधिकारीगण में विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इसी प्रकार कर्मचारीगण में मोहम्मद साजिद कुरैशी, सहायक ग्रेड-03 द्वारा जिले में सर्वाधिक कोर्स पूर्ण करते हुए

जिला स्तर पर प्रथम स्थान तथा राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया। जानकारी के अनुसार उक्त उत्कृष्ट उपलब्धि पर दिनांक 21.04.2026 को सिविल सर्विस डे के अवसर पर जिला अभियोजन संचालनालय कार्यालय, नीमच में आयोजित सम्मान समारोह में जगदीश चौहान, सहायक निदेशक अभियोजन एवं आई-गोट नोडल अधिकारी अजय वर्मा द्वारा दोनों अधिकारियों/कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र, डायरी एवं पेन प्रदान कर सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार साजिद कुरैशी एवं विवेक सोमानी द्वारा प्रदर्शित अत्यंत सक्रियता, समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

जिला अभियोजन संचालनालय, नीमच द्वारा दोनों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि हेतु हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई है।

गायत्री शक्तिपीठ जोबट के 47 वें स्थापना दिवस पर 151 परिवारों में एक साथ, एक समय में सम्पन्न होगा गायत्री महायज्ञ-डॉक्टर शिवनारायण सक्सेना

मुकेश राठौड़

जोबट। गायत्री शक्तिपीठ जोबट के व्यवस्थापक डॉक्टर शिवनारायण सक्सेना ने अवगत करवाया कि गायत्री शक्तिपीठ के 47 वे स्थापना दिवस पर दिनांक 25 अप्रैल 2026, शनिवार, प्रातः 8.30 से 10.30 बजे तक जोबट नगर एवं ग्राम नेहतड़ा, उबलद, देहदला आदि स्थानो पर एक ही समय में एक साथ गायत्री महायज्ञ संपन्न होगा।

ज्ञात हो कि वेद मूर्ति तपोनिष्ट पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, संचालक अखिल विश्व गायत्री परिवार ने दिनांक 23 से 26 अप्रैल 1980 में स्थानीय जोबट नगर की दाल मिल में चार रोज तक रुक कर गायत्री शक्तिपीठ का 25 अप्रैल 1980 को लोका अर्पण किया था, साथ ही यह वर्ष गुरुदेव की साधना का शताब्दी वर्ष, माता भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी वर्ष एवं अखंड दीप का शताब्दी वर्ष होने से यह वर्ष

अति महत्वपूर्ण वर्ष है, नगर एवं नगर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र के भाई-बहन जो भी अपने घरों में गायत्री महायज्ञ करवाना चाहते हैं, वे गायत्री शक्तिपीठ में अपना पंजीयन करवा कर यज्ञ सामग्री की सूची प्राप्त कर लेवे या मोबाइल नंबर 99 77 27 48 68, 99 81 376 310, पर अपना पंजीयन करवा लीजिए, गायत्री महायज्ञ के लिए जिला धार , बड़वानी, झाबुआ, आलीराजपुर आदि से आचार्य भाई-बहन आएंगे, गायत्री महायज्ञ से घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आती है, विघ्न, बाधा, गृह क्लेश दूर रहते हैं।

भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जिला सचिव सरदार सिंह निंगवाल ने बताया कि अपराहन 2 बजे से 4 बजे तक 2025 में आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की प्रावीण्य सूची में आए 147 जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय छात्र-छात्राओं को सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र एवं नगद राशि प्रदान की जावेगी, परीक्षा में 12229 छात्र-छात्राओं ने अपनी भागीदारी की थी।

सभी आगंतुकों के लिए चाय, नाश्ता भोजन एवं मार्ग वेव की व्यवस्था की गई है, जानकारी मीडिया प्रभारी एवं मुख्य प्रबंध ट्रस्टी शिवराम वर्मा ने दी।

अधिक से अधिक प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण कर पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाएं

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव

अनवर मंसूरी

खंडवा। आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर खंडवा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला अधिवक्ता संघ खंडवा के अधिवक्तागण बैठक आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए माननीय श्री श्रीवास्तव ने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराने का प्रयास करें, जिससे पक्षकारों को शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न केवल समय और धन की बचत करती है, बल्कि आपसी सहमति से विवादों का स्थायी समाधान भी सुनिश्चित करती है।इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश एवं संयोजक नेशनल लोक अदालत उत्सव चतुर्वेदी ने अपने उद्बोधन में लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह मंच विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने-अपने पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रेरित करें, ताकि अधिकाधिक मामलों का निपटारा संभव हो सके।बैठक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय योगराज उपाध्याय, जिला न्यायाधीश अनिल चौधरी,अरविंद सिंह टेकाम, आशीष प्रताप सिंह, वीरेंद्र जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ठाकुर प्रसाद मालवीय, जिला रजिस्ट्रार अरविंद सिंह सहित न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। साथ ही जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रविंद्र पाथरीकर एवं संघ के समस्त पदाधिकारी एवं अधिवक्ता गण भी बैठक में सम्मिलित हुए।

नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से किया कुकर्म, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्जकर किया गिरफ्तार

शाहिद अजमेरी

मंदसौर। शहर में एक हिंदू युवती को रजनीगंधा में नशीला पदार्थ मिलाकर शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील वीड़ियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है।

विरोध करने पर युवती को चाकू से वार कर भी घायल कर दिया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि परिवर्तित नाम रानी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें बताया कि वो ब्राईडल इवेंट में काम करती है, 4 साल पहले उसकी पहचान जुनैद नामक युवक से हुई थी। इस दौरान वो जुनैद से बातचीत करने लगी। इसी बातचीत के दौरान एक दिन मौका देखकर जुनैद ने रजनीगंधा में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ ज्यादती की। इतना ही नही बेहोशी की हालत में आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। इसके बाद उसने जुनैद से बातचीत बंद कर दी। लेकिन 18

अप्रैल 2026 की रात जुनैद ने रानी का मोबाईल नंबर जुटाकर एक आपत्तिजनक वीडियो भेजी। ये वो ही वीडियो थी जो जुनैद ने नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में बनाई थी। वीड़ियो देखकर रानी घबरा गई और जुनैद से वीडियो डिलिट करने की कहा। लेकिन जुनैद ने आखरी बार मिलने की शर्त रख दी। मजबूरी में 20 अप्रैल को जब फोटो/वीडियो डिलीट करवाने के लिये रानी यश बालाजी के यहां मिलने के लिए पहुंची। यहां मौजूद जुनैद पास ही स्थित अपने दोस्त के कमरे पर रानी को ले गया। यहां फिर से अश्लील हरकत कर जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर जुनैद ने रानी के हाथ पर चाकू से वार कर दिया। घटना में रानी के दाहिने हाथ पर चोट आई। लेकिन हिम्मत दिखाकर रानी कमरे का दरवाजा खोलकर घायल अवस्था में यहां से भाग निकली।

इस दौरान जुनैद ने युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार करने और इसका वीडियो बनाकर दौबारा संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपी जुनैद नामक युवक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्जकर गिरफ्तार कर लिया है।

कुकड़ेश्वर नगर में एक जमाने में पटवा शासन में 1993 में बुलडोजर चला था फिर चला 2026 में नगर में बुलडोजर भाजपा शासन में

राजू पटेल

कुकड़ेश्वर। नगर में चला बुलडोजर गरीबों के मकान के सामने लैट्रिंग बाथरुम जमीन डोज। कुकड़ेश्वर नगर नई आबादी में बागरी समाज के गरीब लोगों के घरों के सामने का अतिक्रमण हटाया।

कुकड़ेश्वर शांतिलाल बागरी ने बताया मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र पटेल को बताया की नगर परिषद के द्वारा एवं उनके सहयोगी कुकड़ेश्वर थाना के पुलिस वालों के द्वारा उनकी पूरी टीम मौके पर पहुंचकर हमारे मकान के सामने बने लैट्रिन बाथरूम गिरा दिया गया जेसीबी इस कदर से चलाई कि हमारे घर की महिलाओं को भी चोटे लगते बची। हमारे मकान के सामने का निर्माण पक्का निर्माण को हटा दिया गया।

पटेल ने नगर परिषद के ऊपर आरोप लगाया है कि जब स्वच्छता को लेकर लैट्रिन बाथरूम के स्वीकृति नगर परिषद के द्वारा दी गई और इनको लेट्रिंग बाथरूम बनाने की शुल्क भी दी गई तब आपके द्वारा इन्हें परमिशन दी गई थी तब अतिक्रमण कहां गया था...? आपके द्वारा जब लैट्रिन बाथरूम को इंजीनियर सेशन करेगा उनका फोटो आपके द्वारा लिया जाएगा उसके बाद उन्हें पैसे उनके खाते में ट्रांसफर होंगे उस समय आप कहां थे एक तरफ तो इन्हें पक्का छत देने का वादा करते हैं और उन्हें पक्का आवास देने का लालच देते हैं और दूसरी तरफ उनके अतिक्रमण हटा दिए जाते हैं एक तरफ महिला आरक्षण की बात करते हैं नारी सम्मान की बात करते हैं और नारी कितनी परेशान है ओर कितनी सुरक्षित है महिलाएं पहुंची थाने महिलाओं के द्वारा थाने पर दिया गया आवेदन।

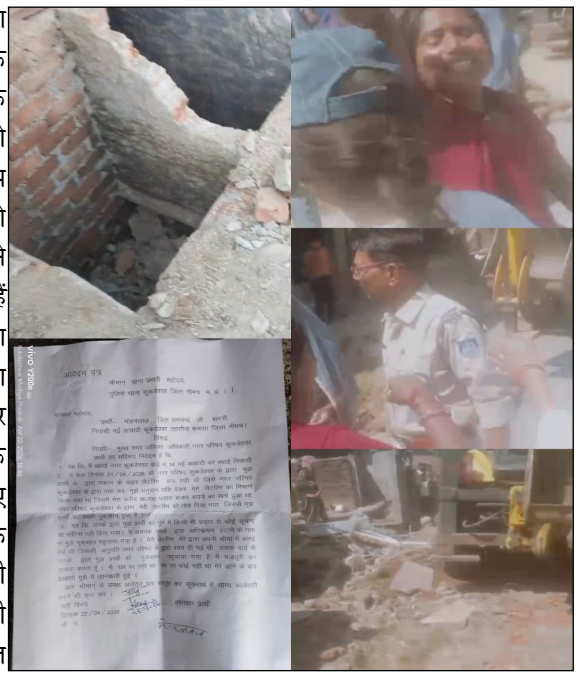

केसिया पंचायत में घटिया सामग्री से बन रहा स्कूल भवन

कॉलम में मानक के विपरीत केवल 4 रॉड लगाने का आरोप

ब्यूरो देवीनाथ लोखंडे बैतूल

बैतूल। ग्राम पंचायत केसिया में खनिज मद से बन रही अतिरिक्त कक्षा का निर्माण कार्य भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों में घिर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल प्रांगण में बन रहा यह भवन गुणवत्ता मानकों को ताक पर रखकर तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है।

ग्रामीण शिवपाल वट्टी ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में तय स्टीमेट का पालन नहीं किया जा रहा है। उनके अनुसार, जहां कॉलम में मजबूत ढांचे के लिए पर्याप्त सरिया लगना चाहिए, वहां केवल 10 एमएम की चार रॉड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भवन की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच द्वारा यह काम तारा क्षेत्र के किसी विनोद यादव को कमीशन के आधार पर दिया गया है। पैसे बचाने के चक्कर में निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है, जिससे बनने वाला भवन कमजोर हो सकता है।

चूंकि यह अतिरिक्त कक्षा स्कूल परिसर में बन रही है और इसमें बच्चों की पढ़ाई होनी है, ऐसे में घटिया निर्माण सीधे तौर पर छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते जांच और सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और सरकारी राशि का सही उपयोग हो।

पेटलावद नगर में बढ़ता अतिक्रमण, नगर परिषद की उदासीनता पर उठ रहे सवाल

दिपेश पड़ियार

पेटलावद। नगर में इन दिनों अतिक्रमण की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा है और शहर की व्यवस्था चरमरा रही है।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद

होते जा रहे हैं।

शहर के प्रमुख मार्गों पर दुकानदारों द्वारा सड़क तक सामान फैलाना, ठेले-गुमठियों का अनियंत्रित रूप से लगना आम बात हो गई है। इससे पैदल चलने वालों आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाए, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उन्होंने नगर परिषद से मांग की है कि नियमित अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाए और शहर की व्यवस्था को सुचारु बनाया जाए।

अब देखना यह होगा कि नगर परिषद इस समस्या को लेकर कब जागती है और आम जनता को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

उमड़ला की सरकारी पुलिया निर्माण में ग्रामीणों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

घटिया सामग्री से बना ढांचा, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

ब्यूरो देवीनाथ लोखंडे बैतूल

बैतूल। जनपद पंचायत भैंसदेही ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत राक्सी के ग्राम उमड़ला में सरकारी फंड से बनी पुलिया पर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया निर्माण में गुणवत्ता की पूरी तरह अनदेखी की गई है, जिससे निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ग्रामीणों के अनुसार पुलिया निर्माण में घटिया सीमेंट और रेत का उपयोग किया गया। कंक्रीट बेस भी कमजोर तरीके से तैयार किया गया, जिसके ऊपर सिर्फ दिखावे के लिए प्लास्टर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य जल्दबाजी और कमीशनखोरी के चलते किया गया, जिससे पुलिया की मजबूती पर संदेह पैदा हो गया है। जब ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की, तो सरपंच, सचिव और ठेकेदार एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। कोई भी स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इस पुलिया की जांच नहीं करवाई गई, तो भविष्य में यह हादसे का कारण बन सकती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

खंड स्त्रोत समन्वयक श्रीमती रेखा गिरि के द्वारा संकुल बरवेट के बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया

दिपेश पड़ियार

झाबुआ। कलेक्टर श्री योगेश तुकाराम भरसट द्वारा 18 अप्रैल को झाबुआ समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशानुसार, आज दिनांक 22 /4/26 को खण्ड स्त्रोत समन्वयक श्रीमती रेखा गिरि स्वामी द्वारा बरवेट संकुल अंतर्गत बालिका छात्रावास बावड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरिक्षण के दौरान दर्ज 50में से 35 बालिकाएं उपस्थित पाई गई। बालिकाओं से चर्चा की गई एवं भोजन की गुणवत्ता और अन्य सुविधाओं के बारे में पूछा गया, बालिकाओं द्वारा बताया गया कि भोजन मीनू अनुसार दिया जा रहा है वार्डन राजलक्ष्मी और सहायक वार्डन सुनीता मौर्य दोनों हॉस्टल में ही निवास करती है। समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहा। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बालिकाओं के फोटो एवं प्रतिशत दीवार पर चस्पा करने हेतु निर्देशित किया गया। खेल एवं अन्य गतिविधियां करवाकर फोटो और वीडियो सेंड करने हेतु निर्देशित किया गया। पीने के पानी की टंकी, भंडार गृह, रसोईघर और शौचालय,परिसर की साफ सफाई करने हेतु निर्देशित किया गया। बच्चों के उपस्थित शत प्रतिशत पूर्ण करने हेतु कहा गया। समस्त रिकार्ड संधारित करने के निर्देश दिए।

साथ ही स्कूल निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक को कक्षा पहली में 20 बच्चों का नामांकन करने हेतु निर्देश दिए गए। संस्था प्रमुख प्रत्येक शिक्षक को पांच नवीन बच्चों का नामांकन हेतु लक्ष्य निर्धारित करेंगे। भोजन मीनू अनुसार बनावे बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। जन शिक्षक और खंड अकादमीक समन्वयक को प्रतिदिन स्कूलों का भ्रमण करने और ऑनलाइन मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देश दिए गए। जल संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक संस्था को

पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए। माध्यमिक शालाओं में विभिन्न गतिविधियां जैसे रंगोली, चित्रकला, रैली, भाषण निबंध आदि करवाकर फोटो और वीडियो सेंड करने के निर्देश दिए गए।

अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठे से लगभग 1.5 लाख ईंट किया गया जप्त

हेमंत वर्मा संवाददाता राजनांदगांव

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम जामरी एवं मुड़पार में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम जामरी एवं मुड़पार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम जामरी में नाले के पास अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर पाए गए। मौके पर राजस्व विभाग की टीम के पहुंचते ही दोनों ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर का इंजन लेकर फरार हो गए। राजस्व विभाग द्वारा दोनों ट्रॉलियों में भरी रेत को ट्रॉली सहित जप्त कर थाना बोरतलाव को सुपुर्द किया गया। साथ ही मौके पर हेमलाल सिन्हा द्वारा अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठे पर कार्रवाई करते हुए लगभग 1.5 लाख ईंट जप्त किया गया। कार्रवाई में एसडीएम डोंगरगढ़ एम भार्गव, नायब तहसीलदार सुश्री मेघा जैन एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे।

कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत बावड़ी, खेत तालाब एवं अमृत सरोवर का किया निरीक्षण

संजय जैन सह संपादक

झाबुआ। शासन की प्राथमिकताओं में शामिल जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने आज विकासखंड थांदला क्षेत्र में विभिन्न जल संरचनाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने थांदला में स्थित बावड़ी, ग्राम पंचायत सागवा में किसान के खेत तालाब तथा देवगढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन अमृत सरोवर का अवलोकन किया। कलेक्टर ने थांदला में बावड़ी का निरीक्षण करते हुए उसकी वर्तमान स्थिति का आकलन किया।

उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी थांदला को निर्देशित किया कि अभियान के अंतर्गत बावड़ी की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए तथा सुरक्षा की दृष्टि से बावड़ी के चारों ओर रेलिंग लगाई जाए, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे। इसके पश्चात कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सागवा में किसान श्री गणेश के खेत तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने किसान से संवाद कर खेत तालाब से प्राप्त लाभ, विशेषकर सिंचाई में हुए सुधार एवं उत्पादन में वृद्धि के संबंध में जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान अन्य किसानों द्वारा भी खेत तालाब की मांग रखी गई, जिस पर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया कि पात्र किसानों के लिए प्राथमिकता के आधार पर खेत तालाब स्वीकृत किए जाएं।

कलेक्टर ने देवगढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन अमृत सरोवर के कार्य का भी निरीक्षण किया। निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता को संतोषजनक न पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अमृत सरोवर के स्लोपिंग एवं पिचिंग कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बंड (तटबंध) के आसपास अनावश्यक खुदाई न की जाए, जिससे संरचना की मजबूती प्रभावित न हो। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अमृत सरोवर का निर्माण कार्य समयसीमा में पूर्ण करते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि यह जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन में प्रभावी भूमिका निभा सके।

इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्रसिंह चौहान, सहायक कलेक्टर आशीष कुमार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला भास्कर गाचले एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

जन्मोत्सव पर रामानुजकोट से निकला चल समारोह

उज्जैन। रामानुजाचार्य जी के जन्मोत्सव पर बुधवार को शिप्रा तट स्थित रामानुजकोट आश्रम से विशाल चल समारोह पीठाधीश्वर 1008 स्वामी श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज एवं युवराज स्वामी डॉ. माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज के सानिध्य में निकाला गया। पं. आत्माराम शर्मा ने बताया इस अवसर पर आश्रम में सुबह 8 से 10 बजे तक बटुक ब्राह्मणों द्वारा भगवान श्री रामानुजाचार्य जी, श्री लक्ष्मी-व्यंकटेश जी का पंचामृत एवं फलों के रस से महाभिषेक किया। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक संत-महापुरुषों के आशीर्वचन

हुए। दोपहर में महाआरती की गई। इसके पश्चात संतों व भक्तों ने भंडारे में महाप्रसादी ग्रहण की। शाम 7.30 बजे आश्रम से चल समारोह शुरू हुआ जिसमें बैंड, ढोल, घोड़े, बग्घी, ध्वज के साथ भगवान श्री रामानुजाचार्य जी का रथ निकला।

प्रकाशक, मुद्रक धवन माहेश्वरी, मालिक गजेन्द्र माहेश्वरी द्वारा उदयरत्न ऑफसेट,10/2, दारू गोडाउन के आगे, आगर रोड़, उज्जैन (मध्यप्रदेश) से मुद्रित, 190, विधापति नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन (मध्यप्रदेश) से प्रकाशित
संपादक:शानू माहेश्वरी, (9754776006, 7974826006, 8643056464,9575154444) समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक समाचार के लिए प्रधान संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। सभी प्रकार के विवादों के निपटारे हेतु न्यायालय क्षेत्र उज्जैन ही रहेगा । समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिमेदार। कानूनी सलाहकार तनुज दीक्षित (अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट)।